भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं.466

25 जुलाई, 2024 को उत्तर दिए जाने के लिए

शहरी बुनियादी सेवा कार्यक्रम के अंतर्गत शहर

466. श्री भाऊसाहेब राजाराम वाकचौरेः

क्या ***आवासन और शहरी कार्य*** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में गरीबों के लिए शहरी बुनियादी सेवा कार्यक्रम के अंतर्गत विकसित शहरों की महाराष्ट्र सहित राज्य-वार नवीनतम और अद्यतन संख्या कितनी है.

(ख) आज की तिथि के अनुसार विगत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान राज्य/शहर-वार कितनी निधि आवंटित की गई और कितनी निधि व्यय की गई है; और

(ग) इस संबंध में किए गए कार्यों का ब्यौरा क्या है और इसमें शहर-वार क्या उपलब्धियां हासिल हुई है?

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री

(श्री तोखन साहू)

(क): भारत सरकार ने दिसंबर, 2005 में जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) की शुरुआत की थी, जिसका उद्देश्य राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) को शहरी गरीबों के लिए बुनियादी सेवाओं (बीएसयूपी) के तहत 65 चुनिंदा शहरों में स्लमवासियों सहित शहरी गरीबों को आवास और संबंधित नागरिक सुविधाएं प्रदान करने के लिए केंद्रीय सहायता प्रदान करना तथा एकीकृत आवास और स्लम विकास कार्यक्रम (आईएचएसडीपी) के तहत अन्य शहरों/कस्बों में आवास और संबंधित नागरिक सुविधाएं प्रदान करना था। जेएनएनयूआरएम की अवधि मार्च, 2012 तक थी। तथापि, 31.03.2012 तक स्वीकृत चालू परियोजनाओं को पूरा करने के लिए अवधि को मार्च, 2017 तक बढ़ा दिया गया था।

(ख) : उक्त योजना के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को कोई निधियां जारी नहीं की गई।

(ग) : जेएनएनयूआरएम के शहरी गरीबों को बुनियादी सेवाएं (बीएसयूपी) घटक के अंतर्गत महाराष्ट्र सहित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार वास्तविक और वित्तीय प्रगति अनुलग्नक में दी गई है।

दिनांक 25.07.2024 के लोकसभा अतारांकित प्रश्न सं. 466 के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

जेएनएनयूआरएम के शहरी गरीबों को बुनियादी सेवाएं (बीएसयूपी) घटक के अंतर्गत महाराष्ट्र सहित,राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार वास्तविक एवं वित्तीय प्रगति

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	शहरों की संख्या	आवासों की वास्तविक प्रगति (संख्या)			वित्तीय केन्द्रीय सहायता (करोड़ रूपए)	
			स्वीकृत	निर्माणाधीन	पूर्ण	स्वीकृत	जारी
1	अंडमान और निकोबार द्वीप (यूटी)	-	-	-	-	-	-
2	आंध्र प्रदेश	3	51,132	49,855	49,855	672.64	700.32
3	अरुणाचल प्रदेश	1	996	996	996	54.46	54.46
4	असम	1	2,260	2,260	416	97.60	64.19
5	बिहार*	1	480	480	480	5.07	**78.19**
6	चंडीगढ़ (यूटी)*	1	17,696	17,696	17,696	300.94	**379.03**
7	छत्तीसगढ़	1	12,860	12,732	12,732	219.77	211.21
8	दिल्ली (यूटी)	1	55,424	55,424	38,824	1,163.04	1,050.57
9	गोवा	-	-	-	-	-	-
10	गुजरात	5	1,11,104	1,10,296	1,10,296	987.30	940.98
11	हरियाणा*	1	2,896	2,896	2,896	27.81	**31.18**
12	हिमाचल प्रदेश*	1	176	94	94	5.14	**7.37**
13	जम्मू और कश्मीर	2	6,677	1,575	1,237	134.44	52.38
14	झारखंड	2	2,490	2,319	2,319	52.50	33.11
15	कर्नाटक	2	27,925	27,925	27,925	405.29	384.89
16	केरल	2	21,779	19,267	19,267	213.44	213.91
17	लद्दाख (यूटी)		-	-	-	-	
18	लक्षद्वीप (यूटी)	-	-	-	-	-	-
19	मध्य प्रदेश	4	24,728	24,728	24,728	230.75	221.84
20	महाराष्ट्र	5	97,147	92,921	82,557	2,008.07	1,951.36
21	मणिपुर	1	1,250	1,250	1,250	43.91	43.91
22	मेघालय*	1	648	416	416	28.51	**36.21**
23	मिजोरम	1	1,096	1,096	1,096	79.73	79.73
24	नागालैंड	1	3,504	3,504	3,144	105.61	105.60
25	ओडिशा	2	2,081	1,809	1,778	48.18	46.72
26	पुडुचेरी (यूटी)*	1	1,326	1,326	868	34.41	**38.02**
27	पंजाब	2	4,640	4,640	4,448	45.39	43.74
28	राजस्थान*	2	6,896	6,896	6,896	105.25	**131.64**
29	सिक्किम	1	254	254	254	29.06	29.06
30	तमिलनाडु	3	89,720	81,463	78,855	1,022.22	1,022.00
31	तेलंगाना*	1	72,390	71,982	71,022	680.39	**722.36**
32	त्रिपुरा	1	256	256	256	13.96	13.96
33	दादरा नगर हवेली और दमन दीव		-	-	-	-	
34	उत्तर प्रदेश	7	45,599	45,599	41,532	798.04	798.04
35	उत्तराखंड	3	653	465	465	23.03	28.16
36	पश्चिम बंगाल	2	1,22,870	1,22,583	1,20,504	1,603.87	1,548.31
कुल		**62**	**7,88,953**	**7,65,003**	**7,25,102**	**11,239.83**	**11,062.42**

* धन वापसी/उपयोग समायोजन के अधीन है।